

## लोकसभा की आचार समिति

### प्रलिस के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, 'प्रश्न के बदले नकद', वशलषाधकलर समलतल, संसद के सदस्यों का नैतकल और नीतपरक आचरण ।

### मेन्स के ललल:

लोकसभा की आचार समलतल, संसद और राज्य वधलनमंडल, संरचना, कार्यपरणाली, व्यवसाय का संचालन, शक्तलतलल एवं वशलषाधकलर तथल इनसे उत्पन्न होने वाले मुददे ।

### सुरत: इंडयलन एकसपरस

## चरूा में कूरुं ?

हलल ही में लोकसभा की आचार समलतलने संसद में प्रश्न पूछने के ललल "रशलवत" लेने के आरुपी एक सांसद पर ' प्रश्न के बदले नकद ' ढुटले की ऑूू शुरु की है ।

- समलतल आरुपुुं की ऑूू करने और शकललयतकरूतल, गवलहुुं और आरुपी सांसद सहलतल सभुी संबंधतल पकूषुुं से सबूत इकटूठल करने के ललल करुयवलही करेगी ।

## संभलवलतल परणलम:

- यदल आचार समलतलको शकललयत सही पलई जलतुी है तु वह सफलरशलल कर सकतुी है । वह जसल संभलवलतल सऑू की सफलरशल करतुी है, उसमें आम तुरु पर एक नरलदषलट अवधलके ललल सांसद का नललंबन शलमलल है ।
- सदन, जसलमें सभुी सांसद शलमलल हुुं, अंतत: नरुणय करेगा कलसमलतलकी सफलरशल को सुवलकर कलल जलए अथवल नहुुी और सऑू की परकृतल एवं सीमल, यदलकुई हुु, तु वह नरुधलरतल की जलएगी ।
- यदल आरुपी को नषलकलसतल कलल जलनल थल यल संभलवलतल परतकुल नरुणय कल सलमनल करनल पडू, तु समलतलइसे नुयलललय में ऑूनुतुी दे सकतुी थुी ।
  - ऐसे नरुणय को नुयलललय में ऑूनुतुी देने के आधलर सीमलतल हुुं और आम तुरु पर इसमें असंवुधलनकलतल, ढुुर अवुधतल यल परकृतकल नुयल से इनकर के दलवे शलमलल हुुं ।

**नुट:** वरू 2005 में दुनुु सदनुु ने 10 लोकसभा सांसदुुं और एक राज्यसभा सांसद को नषलकलसतल करने के ललल परसूतलव को मंऑूरी दी, जनल पर धन के बदले संसद में प्रश्न पूछने हेतु सहमत होने कल आरुप थल । लोकसभा में यह परसूतलव बंसल समलतलकी रपुुलरूट पर आधलरतल थल, ऑू इस मुददे की ऑूू के ललल अधुयकूष दवलरल गठतल एक वशलष समलतल थुी ।

- राज्यसभा में शकललयत की ऑूू सदनु की आचार समलतलदवलरल की गई ।
- नषलकलसतल सांसदुुं ने मलंग की कल बंसल समलतलकी रपुुलरूट वशलषाधकलर समलतलको भेऑूी जलए, तलकल सांसद अपना बऑूल कर सकुुं ।

## लोकसभा की आचार समलतल:

- परऑूय:
  - आचार समलतलके सदसुुं की नयुकृतल अधुयकूष दवलरल एक वरू की अवधलके ललल की जलतुी है ।
- इतहलस:

- वर्ष 1996 में दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के लिये **आचार समिति गठित करने का वचन** सामने आया।
- तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति (और राज्यसभा के सभापति) के.आर. नारायणन ने **सदस्यों के नैतिक और नीतिपरक आचरण** की नगिरानी करने एवं इससे संदर्भित कदाचार के मामलों की जाँच करने के लिये 4 मार्च, 1997 को **उच्च सदन की आचार समिति** का गठन किया।
  - लोकसभा के मामले में **वर्ष 1997 में सदन की विशेषाधिकार समिति** के एक अध्ययन समूह ने एक आचार समिति के गठन की सफारिश की, **लेकिन इसे लोकसभा द्वारा अंगीकृत नहीं किया जा सका।**
- **13वीं लोकसभा** के दौरान विशेषाधिकार समिति ने **अंततः एक आचार समिति के गठन** की सफारिश की।
- दिवंगत अध्यक्ष जी. एम. सी. बालयोगी ने वर्ष 2000 में **एक तदर्थ आचार समिति** का गठन किया, जो वर्ष 2015 में सदन का स्थायी हिस्सा बन गई।
- **शिकायतों की प्रक्रिया:**
  - कोई भी व्यक्ति **किसी सदस्य के विरुद्ध** किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से **कथित कदाचार के साक्ष्यों** और एक हलफनामे के साथ शिकायत कर सकता है, जिसमें कहा गया हो कि शिकायत **"झूठी, तुच्छ या परेशान करने वाली"** नहीं है।
    - यदि सदस्य स्वयं शिकायत करता है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
  - अध्यक्ष **किसी सांसद के विरुद्ध कोई भी शिकायत** समिति को भेज सकता है।
  - समिति केवल मीडिया रिपोर्टों या वचाराधीन मामलों पर आधारित शिकायतों पर विचार नहीं करती है। **किसी शिकायत की जाँच करने का निर्णय लेने से पूर्व समिति प्रथम दृष्टया जाँच** करती है तथा शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सफारिशें करती है।
  - समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, जो सदन से विचार विमर्श करता है कि क्या रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिये।
    - रिपोर्ट पर **आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है।**
- **विशेषाधिकार समिति के साथ ओवरलैप:**
  - आचार समिति और **विशेषाधिकार समिति** का कार्य प्रायः ओवरलैप होता है। किसी सांसद के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी निकाय को भेजा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अधिक गंभीर **आरोप विशेषाधिकार समिति के पास** जाते हैं।
  - विशेषाधिकार समिति का कार्य **"संसद की स्वतंत्रता, अधिकार और गरिमा" की रक्षा करना** है।
  - इन विशेषाधिकारों का लाभ व्यक्तिगत सदस्यों के साथ-साथ संपूर्ण सदन को भी मिलता है। **विशेषाधिकार के उल्लंघन** के लिये एक सांसद की जाँच की जा सकती है; किसी गैर-सांसद व्यक्ति पर भी सदन के अधिकार और गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले कार्यों के लिये विशेषाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया जा सकता है।
  - आचार समिति केवल उन कदाचार के मामलों पर विचार कर सकती है जिनमें सांसद शामिल हों।

